2008:CGHC:4470

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक: 4528/2008</u>

<u>याचिकाकर्ता:</u> मेसर्स साई सर्विस स्टेशन

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण:</u> इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय एवं आदेश के उद्घोषणा दिनांक 20/10/2008 हेतु सूचीबद्ध।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

2008:CGHC:4470

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (स) क्रमांक. 4528/2008

याचिकाकर्ता: मेसर्स साई सर्विस स्टेशन, एक स्वामित्वकृत संस्था - स्वामी: नटवर लाल गुप्ता, आयु लगभग 47 वर्ष, पिता - स्व. श्री भागीरथी लाल गुप्ता, छतमुड़ा, बायपास चौक, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, द्वारा संभागीय प्रबंधक, रायपुर संभागीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, राजीव गांधी मार्ग, वीआईपी रोड, पी.ओ. रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, द्वारा संभागीय कार्यालय/मध्य प्रदेश राज्य कार्यालय 16, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462001, मध्य प्रदेश।

3. श्री सतीश कुमार सिंह, सेल्स ऑफिसर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रायपुर संभागीय कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, राजीव गांधी मार्ग, वीआईपी रोड, पी.ओ. रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2008:CGHC:4470

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित:

श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री मतीन सिद्दीक़ी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता हेतु।

श्री संजय के. अग्रवाल, के साथ श्री सुदीप अग्रवाल अधिवक्ता उत्तरवादीगण नंबर 1 एवं 2 हेतु।

निर्णय एवं आदेश

(20 अक्टूबर, 2008 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान याचिका में उस ज्ञापन/आदेश दिनांक 11-7-2008 (अनुलग्नक पी/1), को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उत्तरवादी निगम के विक्रय अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पेट्रोल पंप के थोक एवं खुदरा विक्रय आउटलेट (अर्थात "आरओ" कहा जायेगा) को निलंबित कर दिया गया है।

2) संक्षेप में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता एक स्वामित्वकृत संस्था है तथा उसे उत्तरवादी निगम द्वारा डीलर नियुक्त किया गया था, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है (संक्षिप्त रूप से "निगम")। पेट्रोल/एचएसडी पंप डीलर अनुबंध (संक्षिप्त रूप में "अनुबंध") दिनांक 25-3-2004 (अनुलग्नक

पी/2) के अनुसार नियुक्ति की गई थी। दिनांक 9-8-2007 (सिक) "9-7-2008" को, मिलावट रोधी प्रकोष्ठ/उत्तरवादी निगम के कुछ अधिकारी निरीक्षण हेतु पेट्रोल पंप पहुंचे। निरीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा (जो याचिकाकर्ता के अनुसार बाहरी थे) कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर दी गई थी। दिनांक 11-7-2008 को पुनः अधिकारी स्थल पर पहुंचे और याचिकाकर्ता को एक अक्षेपित आदेश पत्र सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि निरीक्षण के दौरान दिनांक 9-7-2008 को एक अज्ञात व्यक्ति कार्यालय में घुस गया और धमकी देने निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करने लगा तथा सभी आईओसी अधिकारियों (उत्तरवादी निगम) को आरओ परिसर खाली करने हेतु मजबूर किया। यह भी पाया गया कि "उसने कुछ अन्य लोगों की मदद से हमारा मार्कर कलर, भरा हुआ सैंपल बॉक्स और सभी कागज़ ले लिए गए। आपकी सहयोग अपेक्षा के अनुसार नहीं थी।" तत्पश्चात यह निर्देशित किया गया कि "संपूर्ण प्रकरण जांच के अधीन है।" एमपीएसओ/आरपीडीओ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, "आपकी विक्रय और आपूर्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है", और इसके बाद निरीक्षण किया जाकर याचिकाकर्ता के पेट्रोल पंप से विभिन्न नमूने एकत्र किए गए। निगम ने याचिकाकर्ता को दिनांक 17-7-2008 को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक आर/2) जारी किया, जिसमें दिनांक 11-7-2008 के आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह याचिका दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री मतीन सिद्दीक़ी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि दिनांक 10-7-2008 को एक शिकायत (अनुलग्नक पी/5) याचिकाकर्ता द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के भाई एवं कर्मचारियों की ओर से दर्ज की गई घटना की अपराध क्रमांक 306/2008 में जांच प्रगति पर है। श्री तिवारी का आगे यह निवेदन है कि निगम द्वारा निर्मित एवं जारी विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2005 (संक्षेप में, "दिशानिर्देश"), दिनांक 1-8-2005 से प्रभावशील किया है। उक्त दिशानिर्देशों में विधि के किसी भी स्रोत का न तो उल्लेख किया गया है और न ही उसे उद्धृत किया गया है। याचिकाकर्ता को डीलरशिप का आवंटन करार के प्रावधानों के अनुसार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) अनुबंध की खंड 43 इस प्रकार है:

"43. विक्रेता पूर्ण निष्ठा एवं तत्परता से निगम द्वारा समय-समय पर दिए गए या बनाए गए सभी निर्देशों या नियमों का पालन करेगा, तथा निगम के डीलरशिप संचालन के उद्देश्य से निर्धारित कार्यों का पालन एवं संपादन करेगा। विक्रेता निगम द्वारा लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सभी आदेशों और उनके द्वारा नियुक्त किसी भी प्राधिकरण, विशेष रूप से

भारत सरकार के विस्फोटक निरीक्षक, नगरपालिका तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का संपूर्णता से पालन करेगा, जो पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित हैं।"

इस प्रकार, दिशानिर्देशों को अनुबंध का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

5) श्री तिवारी ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की बाध्यता सिर्फ अनुबंध में दी गई शर्तों तथा नियंत्रण आदेश 2005 में परिभाषित कदाचार एवं राज्य आदेश की अनुज्ञापित शर्तों तक ही सीमित है, जो याचिकाकर्ता के डीलर के रूप में आचरण को नियंत्रित करता है। निगम ने अनुबंध की शर्तों के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई या विक्रय एवं आपूर्ति निलंबन का दंडित निर्णय नहीं लिया है। अतः, दिशानिर्देशों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई बाह्य विचाराधीन है तथा पूर्णतः अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आक्षेपित पत्र/आदेश दिनांक 11-7-2008 (अनुलग्नक पी/1) में विक्रय एवं आपूर्ति को निलंबित करने का कारण बाहरी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बाधा तथा अपेक्षा के अनुरूप समर्थन की कमी बताया गया है। इसके बाद दिनांक 17-7-2008 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया, जो पूर्ववर्ती आदेश/मेमो दिनांक 11-7-2008 की निरंतरता नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि विक्रय एवं आपूर्ति का निलंबन, वास्तव में दिनांक 11-7-2008 के आदेश से संबंधित नहीं था। अगला तर्क दिया गया कि दिशा-निर्देशों के तहत,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि विक्रेता नमूना लेने और/या निरीक्षण की प्रक्रिया की अनुमति देने से इनकार करता है, तो पहली बार के लिए उस पर रु. 50,000/- का जुर्माना लगाया जा सकता है और सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति को अधिकतम 45 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की अनियमितता दूसरी बार होती है तो जुर्माना बढ़ाकर रु. 1,00,000/- किया जा सकता है तथा अधिकतम 90 दिनों के लिए सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति का निलंबन किया जा सकता है। यदि अनियमितता तीसरी बार दोहराई जाती है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। दंड प्रावधान संख्या 17 उन मामलों से संबंधित है, जहाँ विक्रेता और/या उसके कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है या शिकायत पंजिका प्रस्तुत नहीं की जाती—ऐसी स्थिति में पहली बार रु. 10,000/- का जुर्माना, दूसरी बार वही अनियमितता होने पर रु. 25,000/- का जुर्माना, तीसरी बार उसी प्रकार की अनियमितता होने पर रु. 50,000/- का जुर्माना और चौथी बार सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति समाप्त करने का प्रावधान है। दिनांक 11-7-2008 के निलंबन आदेश से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को विक्रेता द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने अथवा दुर्व्यवहार के कारण, सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति के निलंबन से दंडित किया गया था; जबकि इस स्थिति में अधिकतम 45 दिनों के लिए विक्रय और आपूर्ति को निलंबित किया जा सकता था। निलंबन आदेश दिनांक 11-7-2008 से प्रभाव में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आया था और 45 दिन की अवधि दिनांक 25-8-2008 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद की निलंबन जारी रखना अधिकार क्षेत्र से बहार है और इसका कोई कानूनी आधार भी नहीं है।

6) यह तर्क दिया गया कि करार के खंड ५६ के अधीन खुदरा बिक्री केंद्र **(**आरओ**)** को सम्यक् संरक्षण प्रदान किया गया है कि यदि विक्रेता**,** करार में अनुबद्ध किसी प्रसंविदा का भंग करता है और निगम से लिखित सूचना की प्राप्ति की तारीख से चार दिनों के भीतर ऐसे भंग का उपचार करने में विफल रहता है**,** तो उस दशा में**,** करार के पर्यवसान सहित**,** कतिपय शास्तियाँ अधिरोपित होंगी। खुदरा बिक्री केंद्र **(**आरओ**)** को विक्रय और प्रदाय के निलंबन हेतु कोई उपबंध नहीं है। श्री तिवारी का आगे यह तर्क है कि यहाँ संदर्भित विवाद किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है।अतः**,** अनुबंध की धारा 67 लागू नहीं की जा सकती है। "इस प्रकार**,** अनुबंध की धारा 67 को लागू नहीं किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) याचिकाकर्ता ने **हरबंसल साहनिया और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अन्य**[1] तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट**[2] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया है।

[1] (2003) 2 SCC 107
[2] (2003) 6 SCC 499

8) दिनांक **17-7-2008 (**अनुलग्नक आर**/2)** को जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक **27-7-2008 (**अनुलग्नक आर**/3)** को उत्तर प्रस्तुत किया है और इस प्रकार, निगम को उत्तर पर विचार करने और समझौते के प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करने का पूर्ण अधिकार है। यह दिशा-निर्देश की कंडिका **6.3.5** से स्पष्ट है कि दंडात्मक कार्रवाई से पूर्व दो शर्तों का पालन अनिवार्य है—पहली, कारण बताओ नोटिस जारी करना और दूसरी, स्पष्टीकरण हेतु न्यूनतम सात दिन का समय देना। वर्तमान प्रकरण में दिनांक **11-7-2008** (अनुलग्नक पी**/1)** को आक्षेपित ज्ञापन/आदेश को जारी होने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इसप्रकार, अक्षेपित ज्ञापन/आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) दूसरी ओर, श्री संजय के. अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता के साथ श्री संदीप अग्रवाल अधिवक्ता उत्तरदाताओं क्रमांक **1** एवं **2** की ओर से उपस्थित, तर्क देते हैं कि कारण बताओ नोटिस दिनांक **17-7-2008** को जारी किया गया था और उसका उत्तर निगम के विचाराधीन लंबित है, अतः रिट याचिका विचारणीय योग्य नहीं होगी। याचिकाकर्ता ने दिनांक **17-7-2008** के कारण बताओ नोटिस की वैधता, कानूनी स्थिति को छोड़, केवल दिनांक **11-7-2008** के आक्षेपित ज्ञापन/आदेश को चुनौती दी है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि डीलरशिप

समझौते की धारा **67** में यह प्रावधान है कि किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद की स्थिति में, उन पक्षकारों में से किसी के भी किसी भी कार्य, दायित्व, कार्य, चूक आदि पर, वह विवाद मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संविदा के अनुसार या उससे उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में। विवाद निगम द्वारा पारित आदेश और डीलरशिप का अनुदान दिए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है और यह समझौते का एक भाग है और अतः, विवाद मध्यस्थता को सौंपा जाना चाहिए। इस आधार पर न्यायालय को इस असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री अग्रवाल यह भी तर्क दिया गया है कि पेट्रोल एवं डीजल खुदरा दुकान के दिशानिर्देश लंबे समय से अस्तित्व में हैं ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाया जा सके। खंड 6.1.1 में मिलावट के लिए प्रावधान है। खंड 6.1.1 **(**अ**)** के अनुसार, तेल कंपनी के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार घनत्व जाँच करनी चाहिए। खंड 6.1.1 **(**ब**)** के अनुसार, यदि डेंसिटी या मार्कर जांच से संभावित मिलावट का संकेत मिलता है, तो सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी जाएगी जब तक कि जांच पूरी न हो जाए। दिनांक 11/7/2008 का आक्षेपित ज्ञापन**/**आदेश दिनांक 17/7/2008 के कारण बताओ नोटिस से संबंधित जाँच के पश्चात जारी किया गया था और इसके बाद याचिकाकर्ता का उत्तर दिनांक 29/7/2008 को दाखिल किया गया था। यह निगम के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। वर्तमान विवाद केवल निजी विधि के क्षेत्र में आता है क्योंकि अनुबंध निगम एवं निजी पक्ष के बीच किया गया था, यह वैधानिक अनुबंध नहीं है और यह अनुबंध अधिनियम या माल की विक्रय अधिनियम द्वारा शासित नहीं होता है। श्री अग्रवाल का यह भी कहना है कि दिशानिर्देश केंद्र सरकार द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जारी और स्वीकृत किए गए हैं और उन्हें दिनांक 15-1-2007 को संलग्नक 'बी' द्वारा संशोधित किया गया है। अतः, दिशानिर्देशों के प्रावधान याचिकाकर्ता (आरओ) और निगम के लिए बाध्यकारी हैं।

10) मैंने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ता को सुना है, प्रस्तुत की गई याचिकाओं एवं उससे संलग्न अभिवचनों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

11) यह स्पष्ट है कि दिनांक 25-3-2004 (अनुलग्नक पी/2) की दिनांकित करार के अनुसार याचिकाकर्ता (आरओ) को डीलरशिप आवंटित की गई थी। दिनांक 9-7-2008 को मिलावट रोधी प्रकोष्ठ /उत्तरवादी निगम के अधिकारियों की एक टीम याचिकाकर्ता के पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने गई। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न हस्तक्षेप/बाधाओं के कारण, निगम के प्रतिनिधि नमूने एकत्र नहीं कर सके और कुछ वस्तुएं निगम के प्रतिनिधियों से छीनी गईं। निगम ने दिनांक 11-7-2008 को ज्ञापन/आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता आरओ को सभी उत्पादों की विक्रय और आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया, इस विशेष आधार पर कि डीलर की अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अन्य व्यक्तियों द्वारा बाधाएँ उत्पन्न की गईं। उल्लेख किया गया कि मामला जांच के अधीन है। यह स्पष्ट है कि विक्रय और आपूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संभवतः मिलावट के कारण नहीं है, बल्कि डीलर के असहयोग एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण थी। निगम के प्रतिनिधियों ने दिनांक 11-7-2008 को अपना निरीक्षण किया और इसके बाद उसी दिन दिनांक 11-7-2008 को विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें डीलर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बाद डीलर आरओ द्वारा स्पष्टीकरण/उत्तर प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) निगम द्वारा विचाराधीन मामले के गुण दोष पर विचार किये बिना, क्यूंकि इससे पक्षकारो के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं अपने विचार से केवल दिनांक 11-7-2008 के आक्षेपित ज्ञापन/आदेश तक सीमित रखता हूँ। दिनांक 17-7-2008 को जारी कारण बताओ नोटिस में दिनांक 11-7-2008 के ज्ञापन/आदेश का कोई उल्लेख नहीं है। अतः, यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि दिनांक 17-7-2008 की नोटिस, दिनांक 11-7-2008 को किए गए निरीक्षण के आधार पर जारी की गई थी। दिनांक 11-7-2008 का आक्षेपित ज्ञापन/आदेश अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं और डीलर की अपेक्षित सहायता न मिलने के कारण जारी किया गया था।

13) यह आगे स्वीकार किया जाता है कि अनुबंध में विवाद के उत्पन्न होने अथवा उसके संबंध में विवाद के लिए प्रावधान है। अनुबंध में विक्रय और सभी उत्पादों की आपूर्ति को निलंबित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, अनियमितताओं की रोकथाम हेतु खुदरा दुकान पर दिशानिर्देश अध्याय-6 में दिए गए हैं। खंड 6.1.1 उत्पाद की अपमिश्रण निम्नानुसार है:

"6.1.1 उत्पाद की अपमिश्रण की परिभाषा:

'अपमिश्रण' से अभिप्राय है, मोटर स्पिरिट/हाई स्पीड डीजल में किसी भी विदेशी पदार्थ का अवैध या अनधिकृत रूप से सम्मिलन, जिसके फलस्वरूप वह उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश संख्या आईएस: 2796 (मोटर स्पिरिट हेतु) एवं आईएस:1460 (हाई स्पीड डीजल हेतु) के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं रहता है; अथवा अपेक्षाओं, और/या उनमें किए गए संशोधनों के अनुरूप नहीं रहता है।

त्रि-स्तरीय नमूनाकरण योजना के अधीन, यदि जांचाधीन नमूने और संदर्भ नमूने पर किए गए अवलोकन, उस परीक्षण पद्धति की पुनरुत्पादकता/अनुमेय सीमाओं के भीतर नहीं आते हैं, जिसके लिए नमूनों की जांच की गई है; और/या,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपमिश्रण की पहचान करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी की गई कोई अन्य अपेक्षा।

अपमिश्रण और अन्य कदाचारों/अनियमितताओं के लिए दोषी खुदरा बिक्री केंद्र/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के विरुद्ध की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई परिशिष्ट-**I** में दी गई है।

क. एकल तेल कंपनी के अधिकारियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्रों पर घनत्व जांच और मार्कर/फरफ्यूरल जांच (जहाँ भी लागू हो) करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण अधिकारी के विवेकानुसार, यादृच्छिक आधार पर, नमूने नैदानिक परीक्षणों/रॉन (आर ओ एन) के लिए लिए जा सकते हैं, भले ही घनत्व का विचलन अनुमेय सीमाओं के भीतर हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ख. यदि घनत्व जांच या मार्कर/फरफ्यूरल जांच (जहाँ भी लागू हो) से संभावित अपमिश्रण का संकेत मिलता है:

सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति को ऐसी जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। मीटर और डिप रीडिंग को निरीक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए, जिस पर डीलर या उसके प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और डीलरशिप की

रबर-मुहर हो, तथा निरीक्षण रिपोर्ट के प्रत्येक पृष्ठ पर निरीक्षण अधिकारी और डीलर/डीलर के प्रतिनिधि द्वारा आद्याक्षरित किया जाएगा। वितरण पंप और टैंक मुहरबंद किए जाने चाहिए।

जहाँ कहीं भी नमूने लिए जाते हैं, चाहे वह यादृच्छिक जांच के अनुसरण में हो या जहाँ अपमिश्रण का संदेह हो, नमूने खुदरा बिक्री केंद्र (आर ओ) पर प्रत्येक टैंक से एकत्र किए जाएंगे और त्रि-स्तरीय प्रतिचयन प्रणाली (अध्याय-2 में वर्णित) के अनुसार उनका परीक्षण करवाया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ग. यदि नमूना प्रयोगशाला परीक्षण में सफल रहता है, तो पहले से निलंबित सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति डीलर को तत्काल पुनः आरंभ कर दी जाएगी।

यदि नमूना प्रयोगशाला परीक्षण के पश्चात् अपमिश्रण युक्त प्रमाणित होता है, तो डीलर को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए। डीलर को रसीद की तिथि के 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि डीलर का स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो, तो कंपनी को अनुलग्नक-1 में दिए गए अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

14) दिशा निर्देश की परिशिष्ट-1 में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। क्रमांक 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 विक्रय के निलंबन के साथ सौदों से संबंधित हैं, जो निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	**अनियमितता का स्वरूप**	**प्रथम अवसर**	**ऍम डी जी 2005 दंडात्मक कार्रवाई द्वितीय अवसर**	**तृतीय अवसर**
12	निरीक्षण/स्टॉक/बिक्री अभिलेख तथा अन्य अभिलेखों का संधारण न करना।	₹25,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति पर 15 दिवस के लिए रोक।	₹50,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 30 दिवस के लिए रोक।	अनुबंध समाप्ति
14	एमएस/एचएसडी पर अधिक वसूल करना।	₹25,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 15 दिवस के लिए रोक।	₹50,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 30 दिवस के लिए रोक।	अनुबंध समाप्ति
15	सरकारी विधानों/विनियमों का अनुपालन न करना।	₹25,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 15 दिवस के लिए रोक।	₹50,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 30 दिवस के लिए रोक।	अनुबंध समाप्ति
16	डीलर द्वारा नमूना लेने देने से इंकार करना एवं/या निरीक्षण कराए जाने से इंकार करना।	₹50,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 45 दिवस के लिए रोक।	₹1,00,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 90 दिवस के लिए रोक।	अनुबंध समाप्ति
17	डीलर एवं/या उसके स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार के स्थापित मामले, शिकायत रजिस्टर प्रस्तुत न करना।	₹10,000 का अर्थदंड।	₹25,000 का अर्थदंड।	₹50,000 का अर्थदंड / चौथे अवसर पर अनुबंध समाप्ति।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18	निःशुल्क वायु (अंकित/कैलिब्रेटेड एअर गेज सहित), पेयजल, रेडिएटर जल, स्वच्छ शौचालय सुविधाएँ, टेलीफोन, प्राथमिक उपचार पेटी आदि का प्रावधान न करना।	₹10,000 का अर्थदंड।	₹25,000 का अर्थदंड।	₹1,00,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 45 दिवस के लिए रोक।
19	पीयूसी (PUC) सुविधा रखने वाले डीलरों द्वारा कूट रचित (नकली) पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने के स्थापित मामले।	₹25,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 15 दिवस के लिए रोक।	₹50,000 का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 45 दिवस के लिए रोक ।	₹1,00,000/- का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 45 दिवस के लिए रोक, तीसरे व अनुवर्ती अवसरों पर।
20	एमएस/एचएसडी के प्राधिकृत खुदरा विक्रय मूल्य का प्रदर्शन न करना।	₹10,000 का अर्थदंड।	₹25,000 का अर्थदंड।	₹50,000/- का अर्थदंड तथा सभी उत्पादों की बिक्री व आपूर्ति 15 दिवस के लिए रोक, तीसरे व अनुवर्ती अवसरों पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15) उपरोक्त निलंबन प्रावधानों के अवलोकन पर यह स्पष्ट होता है कि यह निरीक्षण/स्टॉक/विक्रय रजिस्टर, अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण, अधिभार या सरकारी विनियमन का पालन न करने, फ्री एयर अथवा कैलीब्रेटेड एयर गेज के अभाव, मुफ्त हवा न देने या **PUC** प्रमाण पत्रों के फर्जी निर्गम, अथवा अधिकृत खुदरा मूल्य प्रदर्शन संबंधी मामले का नहीं है। वर्तमान विवाद, जो दिनांक **9-7-2008** को उत्पन्न हुआ, दंडात्मक प्रावधानों **16** व **17** के अंतर्गत आता है, अर्थात् डीलर द्वारा नमूना लेने देने या निरीक्षण की अनुमति देने से इंकार करना

और करने या निरीक्षण में बाधा, अथवा डीलरों/कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने व शिकायत-पंजी का प्रस्तुत न करना। यदि जुर्माना संख्या क्र. **16** के तहत निर्धारित अनियमितता पाई जाती है, तो निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार **50,000** रूपये का अर्थदंड एवं **45** दिनों के लिए सभी उत्पादों की विक्रय व आपूर्ति निलंबित होगी। यदि वही गलती दूसरी बार दुहरायी जाए तो **1,00,000** रूपये का अर्थदंड एवं **90** दिनों के लिए सभी उत्पादों की विक्रय व आपूर्ति का पर रोक होगी/ लगा दी जाएगी। यदि अनियमितता बार-बार दोहराई जाती है तो समझौता स्थगन एवं निरस्तीकरण का कारण बन सकता है। निगम ने 50,000/- रूपये का अर्थदंड अधिरोपित नही गया है, बल्कि उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति का निलंबन किया गया है। अतः, यद्यपि 45 दिनों की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी है, निलंबन का जारी रहना विधिसम्मत नहीं है; किन्तु अपमिश्रण के आधार पर निरीक्षण या अन्य किसी कारण से जांच आदेश पारित करने का कारण नहीं है, जैसा कि दिनांक 11-7-2008 के आदेश/ज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में, यह स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता को करार की खंड **56** के अधीन यथा-विहित व्यतिक्रम को पूरा करने के लिए चार दिन का समय नहीं दिया गया है। अतएव, करार के उपबंध का अवलंब नहीं लिया गया था और इस प्रकार विवाद उस करार से या उसके संबंध में कोई

विवाद उद्भूत नहीं हुआ है, जिसे मध्यस्थ को निर्देशित किया जा सके। यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद **226** के अधीन अपनी विवेकाधीन अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, विशेषतः विभेद, मनमानापन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में, जो संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन है, और इस मामले की जाँच कर सकता है तथा विवाद की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

17) सख्ती से यह कहा जाये तो, यह नहीं माना जा सकता कि विवाद निजी कानून के क्षेत्र में आता है, क्योंकि निगम, कंपनी अधिनियम, **1956** के अधीन पंजीकृत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सामान्य जनता से व्यवहार करता है, यह लोक विधि के क्षेत्र में नहीं आता। इस प्रकार, इस न्यायालय को निगम के प्राधिकारियों के किसी भी लोप या चुक कार्य की न्यायिक समीक्षा करने की पूर्ण अधिकारिता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) महाबीर ऑटो स्टोर्स और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य[3] के मामले में, जिसमें उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की प्रास्थिति के संबंध में क़ानूनी स्थिति को निश्चित किया है। यह कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत चिन्तित राज्य का अंग या साधन है।

[3] (1990) 3 SCC 752

19) हरबंसलाल सहनिया और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में, तथ्य समरूप थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और डीलर के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को पेट्रोलियम उत्पादों में डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था। **15-12-1999** को, निगम के अधिकारियों ने डीलरशिप के निरीक्षण के लिए अपीलकर्ताओं के खुदरा बिक्री केंद्र (आर ओ) का दौरा किया। निगम ने तत्पश्चात् एक कारण बताओ सूचना जारी की और अपीलकर्ताओं से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की कि घनत्व अभिलेख का क्यों नहीं बनाया रखा गया था। द्वितीय, डीलर ने उन अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया जो खुदरा बिक्री केंद्र का निरीक्षण करने आए थे और अपितु असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और अशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निरस्तीकरण केवल डीलर के नमूने की विफलता पर आधारित था। डीलर के असहयोग और अशिष्ट व्यवहार को एक बहुत ही सामान्य तरीके से माना गया है, बिना यह विनिर्दिष्ट किए कि असहयोग क्या था और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के प्रति क्या अशिष्टता दिखाई गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20) हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"7. जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण का संबंध है कि माध्यस्थम् खंड के अवलंब द्वारा उपचार अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध था और इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य थी, यह संप्रेक्षण करना पर्याप्त है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता द्वारा रिट अधिकारिता के अपवर्जन का नियम एक विवेकाधीन नियम है, न कि बाध्यता का। एक उपयुक्त मामले में, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के बावजूद, उच्च न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग कम से कम तीन आकस्मिकताओं में कर सकता है: **(i)** जहाँ रिट याचिका किन्हीं मूल अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करती है; **(ii)** जहाँ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता हुई हो; या **(iii)** जहाँ आदेश या कार्यवाहियाँ पूर्णतः अधिकारिता-विहीन हों या किसी अधिनियम की अधिकार शक्ति को चुनौती दी गई हो (देखें व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स)। वर्तमान मामला पहली दो आकस्मिकताओं की प्रयोज्यता को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अभिलिखित है, याचिकाकर्ताओं की डीलरशिप, जो उनकी रोजी-रोटी है, एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अप्रासंगिक एवं अनुपस्थिति कारण हेतु समाप्त किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारा मत है कि याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं अनुतोष प्रदान की जानी चाहिए थी, बजाय उच्च न्यायालय उन्हें मध्यस्थता कार्यवाही प्रारम्भ करने की आवश्यकता के लिए प्रेरित करने के।"

21) हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में, वैकल्पिक उपचार के सम्बन्ध में शक्ति के विषय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वैकल्पिक उपचार स्व-अधिरोपित सीमा का एक नियम है, नीति, सुविधा एवं विवेक का नियम है, तथा कभी भी विधि का नियम नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

22) श्री संजय के. अग्रवाल का विशेष निदेशक एवं अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम गौसे एवं अन्य[4] के मामले में निर्णय पर अवलंब सुसंगत नहीं है क्योंकि दिनांक 17-7-2008 दिनांक के कारण बताओ नोटिस की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है एवं न्यायालय कारण बताओ नोटिस की वैधता पर विचार नहीं कर रहा है।

23) श्रीमती रुक्मणी बाई गुप्ता बनाम कलेक्टर, जबलपुर एवं अन्य[5] के मामले में निर्णय, जिस पर उत्तरवादी निगम के अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया गया, सुसंगत नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने विवेकाधीन न्यायाधिकार के

[4] (2004) 3 **SCC** 440

[5] (1986) 4 **SCC** 556

प्रयोग में हुए विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने को वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था। वर्तमान मामले में, विवाद अनुबंध के प्रावधानों से उत्पन्न नहीं हुआ।

24) एम्पायर जूट कं. लि. एवं अन्य बनाम जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. एवं अन्य[6] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> **"21.** इस न्यायालय के कुछ पूर्ववर्ती निर्णयों पर अवलंब लेते हुए रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है:
>
> "यह सत्य हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में जब पक्षकार का कोई कार्य अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के बाहर हो करार में और इसलिए बनाए गए घरेलू मंच के विस्तार और परिधि से भी परे तो, रिट याचिका को पोषणीय माना जा सकता है; लेकिन निर्विवाद रूप से इसलिए ऐसा मामला बनाना होगा। यह भी सत्य हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अमृतसर गैस सर्विस और ई. वेंकटकृष्णा के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ के पास वितरण की बहाली का निर्देश देने की अपेक्षित अधिकारिता नहीं हो सकती है; लेकिन ऐसे मामले में भी एक रिट याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी नहीं करना चाहिए कि यदि संविदा के रूप में संविदा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[6] (2007) **AIR SCW** 6550

से उत्पन्न होने वाला तथ्य का कोई गंभीर विवादित प्रश्न शामिल है, तो साधारणतया एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, एक रिट याचिका पर तब विचार किया जाएगा जब इसमें कोई लोक विधि स्वरूप शामिल हो या उत्तरवादी की ओर से लोक विधि कृत्यों से उत्पन्न होने वाला कोई प्रश्न शामिल हो।"

25) एग्री गोल्ड एक्जिम्स लिमिटेड बनाम श्री लक्ष्मी निट्स एंड वोवेन्स और अन्य[7] के मामले में, जिस पर श्री संजय के. अग्रवाल द्वारा अवलंब लिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिपण्णी की गई है:

"२२. अधिनियम **1996** की धारा **8** अनिवार्य प्रकृति की है। ऐसे मामले में जहां एक माध्यस्थम् करार मौजूद है, न्यायालय माध्यस्थम् करार के निबंधनों के अनुसार पक्षकारों को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने के लिए बाध्य है। (देखें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पिंकसिटी मिडवे पेट्रोयम्स[2] और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड[3])। इसलिए, किसी भी वाद में विनिश्चित किए जाने के लिए कोई विवाद्यक शेष नहीं रहेगा। माध्यस्थम् करार का अस्तित्व विवादित नहीं है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने में सही किया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26) भारत सेवा संस्थान बनाम यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड[8] का निर्णय, जिस पर श्री अग्रवाल द्वारा अवलंब लिया गया, वर्तमान मामले के तथ्यों से सुसंगत नहीं हो सकता है क्योंकि करार के उपबंधों से या उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है।

---

[7] (2007) 3 SCC 686
[8] JT2007(10)SC463

27) पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम और अन्य बनाम मेसर्स गायत्री कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य[9] के मामले में, जिस पर श्री अग्रवाल द्वारा अवलंब लिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविदा के अर्थान्वयन के प्रश्न के मामले में, यदि संविदा के किसी निबंधन का उल्लंघन होता है। तो सामान्यतः उपचार अनुच्छेद **226** के तहत रिट याचिका नहीं है यदि संविदा निजी विधि के क्षेत्र में आती है। यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने (पूर्वोक्त) में यह माना कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक "राज्य" है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28) उपरोक्त उद्धृत निर्णय में चलने वाला एक सामान्य सूत्र यह है कि मध्यस्थता समझौते के मामले में, रिट न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब विवाद के संदर्भ के लिए मध्यस्थ के पास स्पष्ट प्रावधान हो। द्वितीय, अनुबंध में, जो निजी विधि के क्षेत्र में आता है, उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में स्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान प्रकरण के तथ्य पूर्णतया भिन्न हैं। डीलर और निगम के मध्य समझौता डीलर द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितता की पूर्ति के लिए चार दिनों का समय प्रदान करता था। निगम ने उस उपचार का सहारा नहीं लिया है और उन दिशानिर्देशों के अनुसार सहारा लिया है जो विक्रय और सभी उत्पादों की आपूर्ति

[9] JT2008(9)SC1

के निलंबन का प्रावधान करता है यदि डीलर द्वारा नमूना लेने और/या निरीक्षण करने और असंसदीय व्यवहार से इंकार किया जाता है डीलर और/या उसके कर्मचारी द्वारा, शिकायत रजिस्टर का प्रस्तुत न करने की स्थिति में सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति की निलंबित करने का प्रावधान है।

29) यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल (नागरिक) परिणामों के साथ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। विचाराधीन मामले में, आक्षेपित ज्ञापन/आदेश दिनांक 11-7-2008 पारित किया गया था, स्वीकार्यतः अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण और डीलर के अपेक्षित सहयोग की कमी के कारण, पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया। पश्चातवर्ती कारण बताओ नोटिस दिनांक 17-7-2008 में आक्षेपित ज्ञापन/आदेश दिनांक 11-7-2008 का कोई संदर्भ नहीं है। अनुबंध के अनुक्रमांक 16 और 17 की अनुलग्नक **1** के दिशानिर्देश यह प्रदान करते हैं कि अनियमितता की प्रकृति में शामिल विषय मामले की याचिका के मामले में 50,000/- रूपये का अर्थदंड अधिरोपण लगाये जाने की आवश्यकता है और सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति का अधिकतम 45 दिनों की अवधि के लिए निलंबन कर दिया गया है। इसप्रकार, सभी उत्पादों की विक्रय एवं आपूर्ति का निलंबन 45 दिनों की अवधि के पश्चात् जारी नहीं रह सकता। निलंबन आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 11-7-2008 को प्रभावी हुआ और 45 दिनों की अवधि दिनांक 25-8-2008 को समाप्त हो गई।

30) जांच के संबंध में कोई राय व्यक्त किए बिना, जो विचाराधीन है, दिनांक 17-7-2008 के कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में, यह न्यायालय सविचार मत रखता है कि दिनांक 11-7-2008 का आक्षेपित ज्ञापन/आदेश 45 दिनों की पूर्णता के पश्चात् मान्य नहीं रह सकता। अतः, दिनांक 11-7-2008 दिनांक का आक्षेपित ज्ञापन/आदेश **(**अनुलग्नक पी**/1)** अभिखंडित किया जाता है। उत्तरवादी निगम को दिनांक 17-7-2008 दिनांक के कारण बताओ नोटिस के आधार पर प्रारम्भ की गई जांच को जारी रखने और अनुबंध उचित समझौते या कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई पाने या अन्यथा जो भी अनुमेय हो करने के लिए स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31) उपर्युक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकार्य की जाती है। दिनांक 11-7-2008 का आक्षेपित ज्ञापन/आदेश **(**अनुलग्नक पी**/1)** अभिखंडित किया जाता है। वाद व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By T.R.Burman